

न्यायालय तहसीलदार/ नायब तहसीलदार बाडी

मु.नं: 20/2018

निर्णय दिनांक: 25/11/2018

उनवान:- बाला कान्हो लोकिरी

आज पत्रावली पेश हुई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पटवारी

हल्का सक काबाड ने इस आशय के साथ रिपोर्ट पेश की है कि आराजी

खसरा नम्बर 448 रकबा 1-10 बीघा किरम काठनी कोपड

बारे ग्राम काडक्या पर डीकरी लोकिरी का पुत्र चानोबिह

जाति कोथ निवासी काडक्या तहसील बाडी

ने सम्बर 2074 रवी/खरीफ में फसल सरसो कर

अतिक्रमण किया है। दर्ज रजिस्टर पर अतिक्रमी को नियमानुसार अधि 1956 की

धारा 91 एल. आर. एक्ट के तहत नोटिस जारी किया गया। अतिक्रमी रही आया

पटवारी हल्का ने उपस्थित अतिक्रमण होना बताया।

अतिक्रमी डीकरी लोकिरी का पुत्र चानोबिह

जाति कोथ निवासी काडक्या को आ. ख. नं. 448

रकबा 1-10 बीघा वारे ग्राम काडक्या से तुरन्त प्रभाव से

बेदखसल किया जाता है तथा लगान का 50 गुना शास्ती राशि 338/- (अक्षरे

रूपेय तीक के रुजरीक रु आरोपित की जाती है। पैनल्टी वशूली एवं फसल नीलामी हेतु पटवारी हल्का एवं भू. अभि. निको लिखा जावे। ITRA को मतालवा कायम कराया जावे। इजराय पत्रावली पृथक से संधारित की जाकर पत्रावली दाखिल दफ्तर है।

फैसला आल दिनांक 25/11/2018 को

खुले इजलास पढकर सुनाया गया।

338-6
 भाग नं. 338 का अंक 6
 रजिस्टर के पृष्ठ नं. ...
 की संख्या ...
 25/11/18
 तहसीलदार

तहसीलदार
 तहसील बाडी (धीसपुर) राज.